वाणिज्यिक न्यायालय कम सं0– 03, जयपुर महानगर द्वितीय

पीठासीन अधिकारी – रणधीर सिंह मिर्धा

(जिला न्यायाधीश)

दीवानी वाद संख्या – 115/2019

सी.आई.एस. संख्या – 106/2019

सी.एन.आर. नम्बर – RJJT1A–000351–2019

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य कार्यालय नरीमन पॉइन्ट, मुंबई, स्थानीय प्रधान कार्यालय तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर एंव शाखा/कार्यालय लघु एवं मध्यम उद्यम शहरी ऋणी केंद्र (एस.एम.ई.सी.सी.) प्लॉट नं. एसपी–1, रोड नं.01 VKIA,जयपुर (राज.) जरिये प्रबन्धक एवं अधिकृत प्रतिनिधि

.....वादी

बनाम

1.मैसर्स श्री गिफट्स प्रोपाईटर श्रीमती शिल्पा चितलंगिया पत्नी अंकुश चितलंगिया, शॉप/ऑफिस–105, जय गोविन्द काम्प्लेक्स, खजानें वालों का रास्ता, इंदिरा बाजार, जयपुर–302002

2. श्रीमती शिल्पा चितलंगिया पत्नी अंकुश चितलंगिया, निवासी–फलेट नं.206, शिवम अपार्टमेन्ट, विद्याधर नगर, जयपुर–302039

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908

उपस्थित :

1– जयन्त वझे जयपुरिया अधिवक्ता वादी।

2– प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय है।

निर्णय दिनांक 20.01.2023

अभिवचन

वादी बैंक ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 के अंतर्गत 9,41,495/– रूपये की वसूली के लिये प्रस्तुत किया है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी बैंक एक बैंकिंग संस्था होकर बैंकिंग कारोबार करती है। केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर व अन्य सहयोगी बैंकों का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। वादी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट 1955 के अन्तर्गत गठित एक निगमित निकाय है जिसका मुख्य कार्यालय नरीमन पॉइंट, मुम्बई– में स्थित है, इसका स्थानीय प्रधान कार्यालय– तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर एवं अनेक शाखाओं में से एक शाखा/कार्यालय लघु एवं मध्यम उद्यम शहरी ऋणी केंद्र (एस.एम.ई.सी.सी.) प्लॉट नं. एसपी–1, रोड नं.01 VKIA,जयपुर (राज.) पर स्थित है। वर्तमान में रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र लालजी शर्मा उक्त शाखा/कार्यालय के मुख्य प्रबन्धक एवं अधिकृत प्रतिनिधि के पद पर कार्यरत है, जो कि वादपत्र पेश करने के लिए प्रशासनिक कार्यालय द्वारा प्राधिकृत है। श्री रमेश चन्द्र शर्मा वाद के तथ्यों से परिचित हैं। जनरल रेग्यूलेशन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा 50(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से बनाए गए हैं। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 26.09. 1959, 26.08.1972 एवं 27.03.1987 के अनुसार श्री रमेश चन्द्र शर्मा अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने, सत्यापित करने, शपथपत्र, आवेदन पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने तथा वादी बैंक की ओर से विधिक कार्यवाहियों को सही रूप से चलाने हेतु सभी आवश्यक व उचित कार्य करने हेतु सक्षम व अधिकृत हैं, इसलिए वर्तमान वाद

उनकी ओर से पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या–1 प्रोपराईटरशिप कन्सर्न है, जिसकी प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या–2 श्रीमती शिल्पा चितलंगिया है, जो प्रतिवादी संख्या–1 के समस्त कार्यकलापों के लिये उत्तरदायी है। प्रतिवादी मैसर्स श्री गिफ्टस के नाम से गिफ्ट आईटम, पेपर, क्राफट आईटम, स्टेशनरी, इत्यादि का व्यवसाय करता है। वादी बैंक की बैनाड रोड जयपुर शाखा मे प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त व्यवसाय हेतु दिनांक 15.09.2016 को कैश क्रेडिट ऋण आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर वादी बैंक ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके प्रतिवादी का ऋण आवेदन पत्र लघु एवं मध्यम उद्यम शहरी ऋण केंद्र को ऋण स्वीकृति हेतु भिजवा दिया गया, जिसे लघु एवं मध्यम उद्यम शहरी ऋण केंद्र नें दिनांक 23.09.2016 को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण से समस्त वांछित औपचारिकताए पूर्ण करवाकर केश क्रेडिट ऋण राशि 8,00,000/– रूपये प्रतिवादीगण को स्वीकृति की गयी। उक्त सी.सी. ऋण, खाता संख्या 61329579148 पर स्वीकृत किया गया था। प्रतिवादीगण को उक्त ऋण पर बैंक की बेस रेट से 1.25 प्रतिशत अधिक, तद्समय प्रभावी ब्याज दर 10.80 प्रतिशत से दैनिक आधारों पर गणना की जाकर मासिक कंपाउंड के आधार पर प्रतिवादीगण को ब्याज अदा करना था। उक्त ब्याज दर समय समय पर परिवर्तनीय थी। प्रतिवादीगण ने ऋण स्वीकृती पत्र की शर्तों को स्वीकार करते हुए दिनांक 23.09.2016 को वादी बैंक के कार्यालय में उपस्थित होकर ऋण संबंधी समस्त शर्तों को स्वीकार कर निम्नांकित दस्तावेज वादी बैंक के पक्ष में निष्पादित किए :–

1. ऋण व्यवस्था करार पत्र दिनांक 23.09.2016
2. एग्रीमेंट ऑफ लोन कम हाईपोथिकेशन, दिनांक 23.09.2016
3. एनेक्सर बी दिनांक 23.09.2016
4. एनेक्सर सी दिनांक 23.09.2016
5. सर्टिफिकेट एनेक्सर बी दिनांक 23.09.2016
6. सहमति खंड दिनांक 23.09.2016

उपरोक्त दस्तावेजात के निष्पादन से प्रतिवादीगण ने इस हेतु सहमति प्रदान की थी कि वह ऋण अनुबंध की समस्त शर्तों की पालना करेगा और उसके द्वारा शर्तों के उल्लंघन पर बैंक उक्त सुविधा को समाप्त कर सकेगी। वादी बैंक उपरोक्त ऋण राशि की वसूली प्रतिवादीगण से करने को पूर्णतया स्वतंत्र थी। प्रतिवादीगण द्वारा ऋण सुविधा की एवज में समस्त स्टॉक, सामान व मशीनरी को वादी बैंक को हाईपोथिकेट किया गया था।

2. वादपत्र में वादी का यह भी कथन है कि प्रतिवादीगण ने तमाम शर्तों की पालना व किश्तों को जमा कराने के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी। ऋणी द्वारा क्रय किए गए सामान पर वादी बैंक का प्रथम चार्ज था। प्रतिवादीगण ने उक्त वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के बाद अधिक समय तक अनुबंध की शर्तो की पालना नहीं की व संविदा को भंग करते हुए उक्त ऋण की अदायगी में चूक कारित कर दी, जिससे अनुबंध की शर्तों के तहत वादी बैंक को अधिकार है कि वह हाईपोथिकेटेड सामान को नीलाम कर प्रतिवादीगण से अपनी समस्त बकाया राशि मय ब्याज एकमुश्त वसूल कर सके। वादी बैंक की ओर से प्रतिवादीगण को उसके ऋण खाते की जानकारी मौखिक रूप से समय–समय पर दी जाती रही है। प्रतिवादी ने अपने ऋण खाते को अनियमित कर दिया है और खाते को नियमित रूप से संचालित नहीं किया गया है। वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण को बकाया राशि की अदायगी हेतु अंतिम नोटिस दिनांक 28.08.2018 को देते हुए बकाया राशि, मय ब्याज व अन्य खर्चो के जमा करवानें हेतु सुचित किया गया,

जिसके बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा बकाया ऋण राशि की अदायगी नहीं की गयी है। प्रतिवादीगण का खाता दिनांक 28.10.2017 को एन.पी.ए. हो गया था। जिसकी सूचना प्रतिवादी को देते हुए दिनांक 28.08.2018 को एक विधिक नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. भिजवाया गया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा न तो नोटिस का कोई जवाब दिया गया और ना ही वादी बैंक में कोई राशि जमा करवाई, इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी बैंक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वसूली वाद प्रस्तुत करने से पूर्व एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 12(ए) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में राजस्थान उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र, जयपुर के समक्ष मध्यस्थता द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण निस्तारित कर दिया गया। वादी बैंक द्वारा युजवल एंड आर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनस में मेंटेन की गई बुक्स में उक्त ऋण खाते का संपूर्ण हिसाब रखा गया है, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा अपने ऋण खाते में विभिन्न तारीखों पर, अदा की गयी रकम व बकाया रही रकम का सम्पूर्ण विवरण दिया गया है जिस पर बैंकर्स बुक्स ऑफ एवीडेंस एक्ट का प्रमाणीकरण है, उक्त ऋण में से् जमा राशियों को समायोजित करने एवं खर्चो के पेटे हुई राशियों को डेबिट करने के उपरान्त दिनांक 31.08.2018 तक प्रतिवादीगण के जिम्मे सी.सी. लिमिट खाते में 9,41,495/– रूपये बकाया निकलते हैं, जिन्हें वादी बैंक प्रतिवादीगण से वसूलने की अधिकारी है।

3. वादी का वादपत्र के अंत में यह भी कथन है कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में वाद कारण/वाद हेतुक प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक में ऋण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने, वादी बैंक द्वारा दिनांक 23.09.2016 को ऋण स्वीकृत करने, प्रतिवादीगण द्वारा अदायगी में व्यतिक्रम करने, ऋण खाता दिनांक 28.10.2017 को एन.पी.ए. होने, तत्पश्चात विभिन्न दिनांकों तथा अंतिम बार दिनांक 28.08.2018 को विधिक नोटिस दिये जाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण द्वारा बकाया राशि की अदायगी नहीं किये जाने पर उत्पन्न हुआ है, जो आज भी जारी है, इसलिए दावा परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों अनुसार विहित मर्यादाकाल में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा बैंक की जयपुर शाखा में ऋण आवेदन करने, इसी शाखा में मूल्यवान प्रतिफल की एवज में प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजात निष्पादित करने एवं प्रतिवादीगण को ऋण राशि का भुगतान भी इसी शाखा से किए जाने के कारण माननीय न्यायालय को यह वाद सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। वाद का मूल्यांकन प्रतिवादीगण के कैश क्रेडिट ऋण खाते में बकाया राशि 9,41,495/– रूपये पर किया जाकर 58,920/– रूपये के न्याय शुल्क पर वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी बैंक का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्नानुसार डिक्री किया जाए :–

- वादी बैंक को कैश क्रेडिट ऋण खाते की बकाया राशि 9,41,495/– रूपये व उक्त राशि पर 12.70 प्रतिशत की दर से ब्याज, मासिक कम्पाउंडिंग रूप से गणित किया जाकर प्रतिवादीगण से दिलवाया जाए।
- वादी बैंक के पास प्रतिवादीगण द्वारा हाईपोथिकेटेड सामान को कुर्क व नीलाम कर ऋणराशि की वसूली करवाई जाए तथा प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावे कि वाद के न्यायालय में लंबित रहने के दौरान हायपोथिकेटेड मशीनरी, माल, स्टाक व अपनी अन्य चल व अचल सम्पतियों को खुर्द–बुर्द न करे।
- वादी बैंक को प्रतिवादीगण से खर्चा मुकदमा व अन्य उचित अनुतोष

दिलवाया जाए।

प्रतिवादीगण की तामील

4. न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2019 को न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रतिवादीगण के सम्मन उनके ऋण आवेदन में अंकित पतों **1. शॉप/ऑफिस–105, जय गोविन्द काम्प्लेक्स, खजानें वालों का रास्ता, इंदिरा बाजार, जयपुर–302002** व **2. फलेट नं.206, शिवम अपार्टमेन्ट, विद्याधर नगर, जयपुर–302039** पर रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 16.11.2019 को प्रेषित किए गए। दोनों पतों पर रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए सम्मन से संबंधित रजिस्टर्ड डाक के लिफाफे इस न्यायालय को "**LEFT**" के पृष्ठांकन सहित वापस प्राप्त हुए। डाक विभाग द्वारा जारी ट्रेक रिपोर्ट में "**Door Locked**" व "**Addressee Left without instructions**" पृष्ठांकन का अंकन है, तदुपरांत न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को सम्मन की तामील दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से करवाए जाने का आदेश प्रदान किया गया, जिसकी पालना में प्रतिवादीगण की **दिनांक 28.09.2022 को न्यायालय में उपस्थिती हेतु सम्मन दिनांक 18.09.2022 के "राष्ट्रदूत समाचार पत्र जयपुर संस्करण" में** प्रकाशित करवाये गये। सम्मन के प्रकाशन के बावजूद भी प्रतिवादीगण दिनांक 28.09.2022, 20.10.2022 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2022 के आदेश से प्रतिवादीगण की तामील पर्याप्त मानते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान किया गया।

मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य

04. वादी बैंक की ओर से साक्ष्य वादी एकपक्षीय में पीड0–1 रमेश कुमार भंवरायत, प्रबंधक का शपथ पत्र पेश कर मौखिक साक्ष्य लेखबद्ध करायी गयी तथा दस्तावेजी साक्ष्य में **प्रदर्श–1** मूल ऋण आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2016, **प्रदर्श–2** मूल ऋण स्वीकृति पत्र दिनांक 23.09.2016, **प्रदर्श–3** मूल ऋण व्यवस्था करार पत्र दिनांक 23.09.2016, **प्रदर्श–4** एग्रिमेंट ऑफ लोन कम हाईपोथिकेशन दिनांक 23.09.2016, **प्रदर्श–5** विधिकमूल एनेक्चर बी दिनांक 23.09.2016, **प्रदर्श–6** मूल एनेक्चर सी दिनांक 23.09.2016, **प्रदर्श–7** मूल सर्टिफिकेट टू बी साईन्ड बाई द बोरोअर दिनांक 23.09.2016, **प्रदर्श–8** सहमति खण्ड **प्रदर्श–**9 लीगल नोटिस की प्रति, **प्रदर्श–10** मूल पोस्टल रसीद है, **प्रदर्श–11** मूल ऋण खाता संख्या 61329579148 का विवरण है, **प्रदर्श–12** मूल मिडियेशन नॉन स्टार्टर रिपोर्ट इत्यादि दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये।

05. बहस अंतिम एकतरफा सुनी गई तथा पत्रावली पर आये दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

विचारणीय बिंदु

06 इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि :–

- आया वादी बैंक प्रतिवादीगण से वादपत्र में वर्णित राशि 9,41,495/– रूपये व इस राशि पर दावा दायरी से तावसूली तक 12.70 प्रतिशत की दर से ब्याज (मासिक आधार पर गणित) व वाद व्यय प्राप्त करने की अधिकारी हैं?
- आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक के हक में हाईपोथिकेटेड गुड्स, जो वादी बैंक के पास दृष्टिबन्धक हैं व प्रतिवादीगण की चल व अचल सम्पत्ति को वादी बैंक नीलाम करके बकाया ऋण राशि वसूल करने की अधिकारी है?

निष्कर्ष

07. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु के संबंध में न्यायालय का विवेचन

निम्न प्रकार हैंः–

वादी बैंक ने वादपत्र के अभिवचनों को प्रमाणित करने के लिये गवाह पीड0–1 रमेश कुमार भंवरायत को परिक्षित कराया है, जिसने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र के अभिवचनों को हुबहु दोहराया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी बैंक ने वाद में वर्णित अभिवचनों को प्रमाणित करने के लिये वाद के साथ दस्तावेजात पेश किये है, जिनको वादी बैंक की ओर से गवाह पीड0–1 ने अपने मुख्य परीक्षण जरिए साक्ष्य शपथ पत्र में साबित किया है। गवाह पीड0–1 ने वाद के साथ पेश किये गये, कुल 12 दस्तावेजात, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, के जरिये यह साबित किया है कि प्रतिवादी ने वादी बैंक से 8,00,000/– रूपये का सी.सी. ऋण दिनांक 23.09.2016 को स्वीकृत कराया था। प्रतिवादीगण ने दिनांक 23.09.2016 को आवश्यक दस्तावेजात बैंक के पक्ष में निष्पादित करते हुए शर्तानुसार बकाया ऋण की किश्तों में अदायगी करने हेतु सहमति प्रदान की थी, परन्तु प्रतिवादी ने सी.सी. ऋण अनुबंध की शर्तो की पालना नहीं की तथा ऋण की पुर्नअदायगी में चूक कारित की। साक्ष्य से यह भी साबित है कि वादी बैंक द्वारा युजवल एंड आर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन की गई एकाउंट्स बुक्स में उक्त ऋण खाते का संपूर्ण हिसाब रखा गया है। जिसके अनुसार दिनांक 31.08.2018 तक वादी बैंक की प्रतिवादीगण में कुल बकाया 9,41,495/– रूपये हैं, जिन्हें वादी बैंक प्रतिवादीगण से वसूलने की अधिकारी है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से संबंधित लेजर्स, वाउचर व चैक का कम्प्यूटराईज्ड रिकॉर्ड वादी बैंक में सुरक्षित होना बताते हुए गवाह ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त 9,41,495/– रूपये की अदायगी हेतु उत्तरदायी होना साबित किया है।

08. वादी बैंक की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन करने के लिये प्रतिवादीगण बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं तथा उनकी ओर से कोई जवाबदावा, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य भी नहीं पेश की गई है, अतः खण्डन के अभाव में वाद पत्र के अभिवचनों, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई युक्तियुक्त, न्यायसंगत आधार/कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है। अतः वादी बैंक के अभिवचन तथा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डनीय मानी जा सकती है। वादी बैंक की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वादपत्र के अभिवचन पूर्णतः प्रमाणित है। इस प्रकार समग्र विवेचन के आधार पर वादी बैंक उक्त बकाया ऋण राशि 9,41,495/–रूपये प्रतिवादीगण से संयुक्ततः पृथकतः प्राप्त करने की अधिकारी है।

09. जहां तक बकाया ऋण राशि पर दिलवाए जाने वाले ब्याज का संबंध है, इस संबंध में वादी बैंक ने अपने अनुतोष में सी.सी. लिमिट खाते की बकाया राशि 9,41,495/– रूपये पर 12.70 प्रतिशत वार्षिक की दर से(मासिक आधार पर गणित) ब्याज की मांग की है। उपरोक्त ब्याजदर वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीयकृत बैंकों की निर्धारित ब्याजदर से अधिक है, इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध समस्त परिस्थितियों तथा वादी बैंक की साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वादी बैंक कुल बकाया ऋण राशि 9,41,495/– रूपये पर प्रतिवादीगण से दस्तावेज प्रदर्श–3, लैटर ऑफ अरेंजमेंट, प्रदर्श–4 एग्रिमेंट ऑफ लोन कम हाईपोथिकेशन में वर्णित 10. 80 प्रतिशत वार्षिक (दोनों पक्षों के मध्य तयशुदा ब्याज दर) की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है।

10. क्षेत्राधिकार की दृष्टि से वादपत्र के अभिवचनों और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करें तो स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य ऋण अनुबंध वादी बैंक की जयपुर शाखा में सम्पादित होना स्वीकृत तथ्य है। पक्षकारान के बीच विवाद वाणिज्यिक

न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1)(सी)(i) के तहत वाणिज्यिक विवाद की श्रेणी में आता है। जयपुर में हुए वाणिज्यिक संव्यवहार संबंधी वाद की सुनवाई का स्थानीय क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। इसके अलावा वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण से 9,41,495/– रूपये की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है, जो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के समादेश अनुरूप इस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार में भी आता है। इस प्रकार यह वाद इस न्यायालय के स्थानीय और आर्थिक क्षेत्राधिकार में होना भी साबित है।

11. इस प्रकरण में वादी बैंक की ओर से ऋण आवेदन दिनांक 23.09.2016 को स्वीकार किया गया है और यह वाद दिनांक 11.09.2018 को न्यायालय में पेश किया गया है। इस प्रकार के वाद में परिसीमा अधिनियम द्वारा 3 वर्ष की परिसीमा निर्धारित की गयी है। इस परिप्रेक्ष्य में यह माना जा सकता है कि वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण को सर्वप्रथम ऋण दिनांक 23.09.2016 को स्वीकृत किया गया था, और यह वाद दिनांक 11.09.2018 को न्यायालय में पेश किया गया है। इस प्रकरण में परिसीमा की गणना दिनांक 23.09.2016 से की जाएगी और इस तिथि से वाद की परिसीमा प्रारम्भ होकर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 23/24.09.2019 को समाप्त होती है। यह वाद दिनांक 11.09.2018 को प्रस्तुत किया गया है, जो स्पष्टतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए अंदर अवधि प्रस्तुत किया गया माना जा सकता है।

12. जहां तक वादी बैंक द्वारा की गयी प्रार्थना कि **''उसे ऋण राशि की वसूली हेतु प्रतिवादीगण द्वारा हाईपोथिकेटेड गुड्स/माल तथा प्रतिवादी की चल व अचल सम्पत्ति को नीलाम कर नीलामी राशि को ऋण के बदले समायोजित करने की अनुमति प्रदान की जाए''** का संबंध है, न्यायालय के मत में वादी बैंक द्वारा नीलामी योग्य गुड्स/माल तथा चल व अचल सम्पत्ति की कोई सूची, विशिष्ट पहचान बाबत् न तो वादपत्र में कोई तथ्य अंकित किए गए हैं, ना ही कोई साक्ष्य पेश की गयी है। इसके अभाव में हाईपोथिकेटेड गुड्स/माल तथा चल व अचल संपत्ति की नीलामी हेतु कोई आदेश दिया जाना सम्भव नहीं है। इसके अलावा यह भी लिखना समुचित होगा कि वादी बैंक का यह वाद न्यायालय द्वारा इस निर्णय से डिक्री किया जा रहा है और डिक्री की पालना हेतु वादी बैंक विधिनुसार निष्पादन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र होगी। ऐसी स्थिति में वादी बैंक की उपरोक्त प्रार्थना विधितः स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

इस प्रकार वादी बैंक विचारणीय प्रश्न को इस हद तक अपने पक्ष में साबित करने में सफल रही है कि वह प्रतिवादीगण से वादपत्र में वर्णित बकाया ऋण राशि 9,41,495/–रूपये तथा उक्त राशि पर दावा दायरी दिनांक से तावसूली दिनांक तक 10.80 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज व वाद व्यय प्राप्त करने की अधिकारी है।

अनुतोष

चूंकि विचारणीय प्रश्न उपरोक्तानुसार वादी के पक्ष में तय किया गया है, ऐसी स्थिति में वादी बैंक, प्रतिवादीगण से वादपत्र में वर्णित बकाया ऋण राशि 9,41,495/–रूपये तथा उक्त राशि पर दावा दायरी दिनांक से तावसूली दिनांक तक 10.80 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज व वाद व्यय प्राप्त करने की अधिकारी पायी जाती है ।

आदेश

फलतः वादी बैंक द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् बकाया ऋण राशि 9,41,495 /–रूपये की वसूली हेतु **एतद्द्वारा एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–**

1. वादी बैंक, प्रतिवादीगण से संयुक्ततः व पृथकतः कुल बकाया ऋण राशि 9,41,495/–रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है।

2. वादी बैंक, प्रतिवादीगण से संयुक्ततः व पृथकतः उक्त बकाया ऋण राशि पर दावा दायरी दिनांक 11.09.2018 से तावसूली दिनांक तक 10.80 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज व वाद व्यय प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

पर्चा डिक्री उपर्युक्तानुसार मूर्तिब किया जावे।

रणधीर सिंह मिर्धा
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 3
जयपुर महानगर, द्वितीय

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

रणधीर सिंह मिर्धा
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 3
जयपुर महानगर, द्वितीय

Digitally signed by
RANDHEER SINGH MIRDHA
Date: 2023.01.21 17:31:56
IST